

10/9/2020 FIRE SERVICE | UTTAR PRADESH

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/22884/LCK/LUCKNOW/1445/CFO

दिनांक : 26-09-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **TRINITY INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** पता **E-5, PS-1 Amrapali Yojna, Hardoi Road,, Lucknow** तहसील - Lucknow प्लॉट एरिया **4140.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1685.37** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| TRINITY INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL | 2 | 0 | 08.50 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **TRINITY INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **09-10-2020** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BHAIYA LAL SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-10-2020** से **09-10-2023** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **TRINITY INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **TRINITY INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1) आवेदक को यह निर्देशित किया जाता है की भविष्य में बेसमेंट का प्रयोग करने से पूर्व मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था का अधिष्ठापन कराकर ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIJAY KUMAR SINGH.

546A902FE4D42A5123E8A8F277613D624EF16119

09-10-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : **09-10-2020**

स्थान : **LUCKNOW**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.